



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61606-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 264/2026

सलीम एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रत्यर्थी

याचीगण के अधिवक्ता: राहुल गौर

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 44

माननीय सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति

माननीय विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गौर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-
 - i. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा यहाँ नामित प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याची संख्या 1/बंदी को उनकी अवैध हिरासत से प्रस्तुत करें और मुक्त करें; साथ ही 'मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण याची संख्या 1 की गिरफ्तारी, निरोध और रिमांड को अवैध एवं शून्य घोषित किया जाए।
 - ii. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 225/2025, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8सी/20/बी(ii)सी/29 और बी.एन.एस. 2023 की धारा 111, 317(2), 345(3), 338, 336(3), 340(2), 3(5), थाना-दौराला, जिला-मेरठ में पारित आक्षेपित रिमांड आदेश दिनांक 26.07.2025 को रद्द किया जाए।
 - iii. प्रतिलेख की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाए।
 - iv. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे, अन्यथा याचीगण को अपूरणीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



क्षति और हानि होगी।

v. याचीगण को लागत दिलाई जाए।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 26.07.2025 को याची संख्या 1 को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 याची संख्या 1 को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा, जो स्वयं गिरफ्तारी मेमो (जिसे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अनुलग्नक C.A.-1 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है) से स्पष्ट है। याची संख्या 1 को न तो गिरफ्तारी के समय और न ही विद्वान रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रदान किए गए, जिससे गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दूषित हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 'मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, 2025 SCC OnLine SC 2356' में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि सभी अपराधों में गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है और इसका अनुपालन न करना गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बना देता है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 35/2026, 'उमंग रस्तोगी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य' के मामले में पारित निर्णय और आदेश पर भी भरोसा किया है। अंत में यह इंगित किया गया है कि रिमांड आदेश दिनांक 26.07.2025 विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मुद्रित प्रोफार्मा पर पारित किया गया है।
5. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचीगण के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया, परंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। याची संख्या 1 के नाम 15 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे याचिका के पैराग्राफ-46 में स्पष्ट किया गया है।
6. उपरोक्त तर्कों और याचीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारी यह राय है कि याची संख्या 1 को गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 26.07.2025 अवैध हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'गौतम नवलखा बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी व अन्य (2022) 13 SCC 542' में यह माना है कि जहाँ रिमांड आदेश पूरी तरह से अवैध हो या यांत्रिक रूप से पारित किया गया हो, वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट विचारणीय है।
7. उपरोक्त रिमांड आदेश और गिरफ्तारी मेमो दिनांक 26.07.2025 एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।
8. उपरोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
9. याची संख्या 1 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सामान्य शुल्क के भुगतान पर कल तक याची संख्या 1 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी की जाए।
11. रिमांड मजिस्ट्रेट को भविष्य में रिमांड आदेश पारित करते समय सतर्क रहने का निर्देश दिया जाता है।
12. प्रत्यर्थीगण याची संख्या 1 के विरुद्ध कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

अतुल कृ. श्री.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"